

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक..... 048678

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 2322

दिनांक 03-11-25



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 385(ख) पत्रावली संख्या 46818-एम दिनांक 2005-2006
केन्द्रीय विहार-।। अपार्टमेन्ट ऑनर्स

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि
एसोसिएशन, कम्यूनिटी सेंटर, केन्द्रीय विहार ।।, अपार्टमेन्ट प्लॉट नं०-03, सैक्टर-82,

नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर। को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 73 दिनांक 30.04.2005 को दिनांक

30.04.2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1400/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 30.10.2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

:नोट:

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाणपत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बंध व्यक्ति के किसी दावे, अधिकार, अनुतोश अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाणपत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।